

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना


सुनिल बनाम

तेजपाल वगैरे

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु0नं0 18 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/172

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-01-2024	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री मुरारीलाल शर्मा एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्राथी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 2.02 हैक्ट. अवस्थित ग्राम गांवडी पटवार हल्का गांवडी तहसील नीमकाथाना के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये रजि. नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.02.2024 को पेश हो।</p>	

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)

19/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/3/24 को पेश हो।

26/3/24 वकूल प्रभा 3081 अग्रणी सं. 1 की ओर से रजिस्ट्री सुपर अग्रवाल एक उपोक्त अग्रणी अग्रणी सं. 10 का एक समग्र तामील अग्रणी अतः अग्रणी सं. 10 के विरुद्ध एक पक्षीय अग्रणी अग्रणी में लगी जाती है। वास्तु में एक व तामील पत्रावली दिनांक 21/5/24 को पेश हो।

02/5/24 पत्रावली पेश हुई। उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/06/24 को पेश हो।

13/6/24 वकूल प्रभा 3081 अग्रणी सं. 2, 3, 5, 6, 7 की ओर से रजि गणेश लाल अग्रणी (एक उपोक्त अग्रणी) वास्तु में एक व शेष अग्रणी/अग्रणी की तलबी हुई पत्रावली दिनांक 13/8/24 को पेश हो।

17/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकूल उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/10/24 को पेश हो।

28/10/24 वकूल प्रभा 3081 अग्रणी सं. 1 का एक पक्ष अग्रणी वकूल प्रभा अग्रणी दिनांक अग्रणी शेष अग्रणी/अग्रणी के पत्रावली व तामील हुई पत्रावली दिनांक 13/12/24 को पेश हो।

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/3/25 को पेश हो।

11-28 राजकीय उक्ताय दीने पर पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/6/25 को पेश हो।

16/6 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय न्यायालय P.O साहब शीघर कार्य में बस्थ पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/11/25 को पेश हो।

4/11/25 वकील डा.पी द्वारा डा. पत्र विश करने हेतु डा. पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व भाज तलब की गई। डा. पत्र T.U से संबंधित मूल वादपत्र भाज विश किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रकरण में भागे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तब नए तकमील राखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार लामु  
10/11/25  
D. P. Singh

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथापा (सीकर)